

entered in the second column there-  
of—

Demands Nos. 16, 42, 44, 47, 49  
and 52."

*The motion was adopted.*

17.05½ hrs.

**HARYANA APPROPRIATION BILL\***  
1967

THE MINISTRY OF STATE IN THE  
MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C.  
PANT): Sir, on behalf of Shri  
Morarji Desai, I beg to move for  
leave to introduce a Bill to authorise  
payment and appropriation of certain  
further sums from and out of the  
Consolidated Fund of the State of  
Haryana for the services of the finan-  
cial year 1967-68.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to intro-  
duce a Bill to authorise payment  
and appropriation of certain further  
sums from and out of the Consoli-  
dated Fund of the State of Haryana  
for the services of the financial  
year 1967-68."

*The motion was adopted.*

SHRI K. C. PANT: Sir, I introduce  
the Bill.

Sir, on behalf of Shri Morarji  
Desai, I beg to move†:

"That the Bill to authorise pay-  
ment and appropriation of certain  
further sums from and out of the  
Consolidated Fund of the State of  
Haryana for the services of the  
financial year 1967-68, be taken into  
consideration."

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to authorise pay-  
ment and appropriation of certain  
further sums from and out of the  
Consolidated Fund of the State of  
Haryana for the services of the  
financial year 1967-68, be taken into  
consideration."

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ):  
हरियाणा की मांगों पर बोलते हुए मैंने कहा था

कि शिक्षा के सम्बन्ध में दिल्ली की कुछ प्रजीब  
नीति है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे  
हिन्दुस्तान की आमदनी को बैठ कर खया जाता  
है। दुनिया भर में तो टैक्स लगते हैं लेकिन  
वह सब खपया इकट्ठा हो कर यहां धा जाता है  
और यहां दिल्ली की सरकार उसको खर्च  
करती है। अगर आप यह जानना चाहें कि  
किस सूबे में वहां के लोगों की हैसियत क्या  
है तो आप चीनी का हिसाब देख लो। प्रति  
व्यक्ति जहां-जहां जितनी चीनी खपती है  
वहां वहां के लोग उतने ही सुखी होते हैं।  
यह आज के जमाने की बात है। अगर  
आपने इसको देखा तो आपको पता चल  
जायगा कि दिल्ली कितनी सुखी है।

दिल्ली की अपनी कोई सीमा है नहीं।  
दिल्ली के पास बसने के लिए जगह है नहीं।  
दिल्ली के चारों तरफ यहां के बच्चे पढ़ने  
के लिए जाते हैं। दिल्ली को पानी पीने के  
लिये चाहिए होता है तो उत्तर प्रदेश वालों  
को कहते हैं कि आप अपने यहां पचास ट्यूब  
वैल लगा दो। बच्चे दिल्ली के पढ़ने के लिये  
दिल्ली के चारों तरफ जाते हैं। दिल्ली के  
बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश में  
जायें, हरियाणा में जायें, मुझे कोई आपत्ति  
नहीं है। इन बच्चों से मुझे कोई द्वेष नहीं  
है। पूरे हिन्दुस्तान के बच्चे पढ़ें-लिखें, मुझे  
खुशी होगी। दिल्ली के बच्चे खुशी से किसी  
भी सूबे में जाकर पढ़ सकते हैं। कोई रोक नहीं  
है। लेकिन इस वक्त यह प्रश्न नहीं  
है। इस वक्त प्रश्न यह है कि दस करोड़  
रुपए का बजट आप शिक्षा का हरियाणा के  
लिए बना रहे हैं। दिल्ली के लिए तो आप  
बना नहीं रहे हैं। बजट बना रहे हैं हरियाणा  
के लिए और उसी बजट में से एक बड़ा हिस्सा  
खर्च किया जाएगा उन कालेजों और स्कूलों  
के लिए जिन में दिल्ली के बच्चे पढ़ने के लिये

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2,  
dated 21-12-1967.

‡Moved with the recommendation of the President.

†Introduced with the recommendation of the President.

[श्री महाराज सिंह भारती]

जायेंगे। यह पैसा खाते में तो लिखा गया है हरियाणा के, खर्च इसको हरियाणा करेगा, असम्बली वहां होती तो वह खर्च करती, असम्बली नहीं है तो आप उसको करेंगे। पैसा हरियाणा का है, उन्हीं के हिस्से का है, पूरे हरियाणा प्रान्त के हिस्से का है। लेकिन उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा आप खर्च करेंगे उन कालेजों, स्कूलों आदि पर जहां दिल्ली के हजारों बच्चे पढ़ते हैं। गाजियाबाद में भी वे पढ़ने जाते हैं, हरियाणा में भी जाते हैं, चारों तरफ जा कर पढ़ते हैं। लेकिन कभी किसी भले आदमी ने यह नहीं सोचा कि कहां तो हरियाणा के गरीब लोग और कहां दिल्ली के भ्रमीर लोग। ये दिल्ली के जो भ्रमीर लोगों के बच्चे हैं वे वहां सिर्फ फीस दे कर पढ़ लेंगे। लेकिन दिल्ली वाली सरकार उनको बिर्लिंग बनाने के लिये, उनको विज्ञान का सामान खरीदने के लिए, प्रयोगशालायें बनाने के लिए कुछ नहीं देगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केवल फीस में से स्कूल चस जाते हैं ?

नतीजा यह निकलता है कि दिल्ली के समर्थ लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिये हरियाणा के गरीब लोगों को अपने बच्चों को पांचवीं क्लास से भी वंचित करना पड़ता है, अपने बच्चों को वे पांचवीं क्लास तक भी नहीं पढ़ा सकते हैं। उन प्राइमरी स्कूलों पर जो खर्च होने वाला था वह अब आपके बच्चों के ऊपर खर्च होगा। यह होता आ रहा है। केन्द्रीय सरकार को शर्म आये या न आये हम को तो बहुत शर्म आती है। मालदार आदमियों के बच्चे गरीब आदमियों के बच्चों के सिर पर पढ़-लिख जायें, गरीब आदमी अपने बच्चों को बे-पढ़ा-लिखा रख कर मालदार आदमियों के बच्चों को पढ़ा दें, यह तो बहुत ही शर्म की बात है।

मेरा मतलब यह नहीं है कि दिल्ली के बच्चे पढ़ें न। गाजियाबाद, मेरठ और उनका बस लगे, तो पूरे हरियाणा में जा कर

पढ़ें, खूब पढ़ें, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप करोड़पति लोग हैं, बड़े मालदार लोग हैं। आपके बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं तो जरा उतना ही पैसा भी आप दें, दिल खोल कर दें। हरियाणा के खाते में से पैसा अगर आप खर्च करते हैं तो कोई बहुत बड़ा एहसान आप नहीं करने जा रहे हैं। अपने खाते से अलग से आप रुपया दें, ताकि आपके बच्चे पढ़ सकें। दस पांच करोड़ रुपया आप उनको दें ताकि वे शान से काम चला सकें, शान से बिर्लिंग बना सकें, शान से होस्टल बना सकें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री भारती, ने अभी जो बातें कही हैं, उन का एक तरह से जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन इस वक्त उन्होंने दो बातें दोहराईं।

पहली बात तो उन्होंने यह कही कि दिल्ली ज्यादा खुशहाल है और दिल्ली में सारे हिन्दुस्तान का पैसा आता है। यह बात सही है कि दिल्ली ज्यादा खुशहाल है, लेकिन यह सही नहीं है कि दिल्ली में आस-पास के इलाकों से ज्यादा पैसा है। दिल्ली की खुशहाली का पता लगाने के लिए चीनी के आंकड़े देखने की जरूरत नहीं है। यह बात सब को पता है। लेकिन क्या यह बुरी बात है कि हिन्दुस्तान की राजधानी में खुशहाली हो ? अगर हिन्दुस्तान की राजधानी आस-पास के इलाकों से ज्यादा गरीब होती, तो क्या यह अच्छी बात होती ?

श्री महाराज सिंह भारती : दिल्ली भ्रमीर है और कंजूस भी है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ हद तक दोनों बातें साथ-साथ चलती हैं।

माननीय सदस्य गम्भीरता से सोचें कि अगर एक प्रदेश के बच्चे दूसरे प्रदेश में जा कर पढ़ें और दूसरे प्रदेश वाले कहें कि पहले प्रदेश को उन बच्चों के पढ़ने का खर्च देना चाहिए, तो यह भी तथ्य है कि उत्तर प्रदेश

के बच्चे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और यह दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं। अगर यह बात भागे बढ़ाई गई, तो उस का भन्त क्या होगा, कहां जा कर यह बात खत्म होगी और किस हद तक इस देश की एकता को कायम रखने में मददगार होगी ?

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana for the services of the financial year 1967-68, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. SPEAKER: The question is:

"That clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI K. C. PANT: I move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

17.11 hrs.

#### ESSENTIAL COMMODITIES (SECOND AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): Sir, on behalf of Shri Dinesh Singh, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, and to continue the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964, for a further period, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

As the House is aware, the Bill was referred to the Select Committee on the 6th December, 1967. The Committee's Report was laid on the Table of the Lok Sabha on the 18th December, 1967; no changes have been suggested by the Committee in the original Bill.

I am extremely grateful to the Chairman and the Members of the Committee for having given their very careful consideration to this important Bill and making available their recommendations in such a short time.

I would, however, like to touch on the observations made by the Committee with regard to clause 3 of the Bill, namely, that some time limit should be fixed for the return of the Account Books that are seized to the parties concerned. I have assured the Committee that this will be done by suggesting to the State Governments and other concerned authorities that suitable provision should be made in the orders to be issued under the Act.

Another point stressed by the Select Committee by way of caution is that care should be taken to see that innocent persons are not harassed on purely technical grounds while exercising powers under this Bill. I may assure the House that Government are in full sympathy with this view and shall take all possible care to see that the enforcement staff of the Centre and the State Governments bear in mind this advice of the Select Committee while discharging their functions. The concerned authorities would be appropriately addressed in this connection.

The country has passed through two continuous years of drought causing acute shortage. This year a bumper crop is expected. We propose to take advantage of this good year to put the food economy of this country on a firm and stable basis. In view of the continued necessity of maintaining the public distribution system to serve the vulnerable sections of the